NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/110/2026 दिनांक – 18.08.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान संयुक्त सचिव (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन,**
   सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून
   ईमेल – arvindsingh.uset@uk.gov.in
2. **श्रीमान सचिव (राजस्व विभाग), उत्तराखण्ड शासन,**
   सचिवालय, सुभाष रोड, देहरादून
   ईमेल – surandran.pandey@ias.nic.in
3. **श्रीमान आयुक्त, राज्य कर,**
   उत्तराखण्ड, देहरादून
   ईमेल – sgsthelpdeskuk@gmail.com

विषय : उत्तराखण्ड राज्य में पुराने एवं प्रयुक्त वाहनों के क्रय–विक्रय का व्यवसाय करने वाले समस्त कार डीलरों/प्रतिष्ठानों को प्रत्येक व्यावसायिक वाहन बिक्री पर लागू जी०एस०टी० नियमों के अनुरूप बिल/कर दस्तावेज अनिवार्य रूप से जारी करने हेतु राज्यव्यापी निर्देश जारी किए जाने, जिससे वास्तविक क्रय एवं विक्रय मूल्य, डीलर का मार्जिन/कमीशन एवं कर दायित्व प्रमाणित एवं सत्यापन योग्य रहे तथा जी०एस०टी० अपवंचन एवं सरकारी राजस्व हानि की संभावना को प्रभावी रूप से रोका जा सके, के संबंध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट जनहित, सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेही एवं सरकारी राजस्व के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान है। संस्थान आपका ध्यान उत्तराखण्ड राज्य में पुरानी एवं प्रयुक्त कारों के व्यावसायिक क्रय–विक्रय में संलग्न कार डीलरों द्वारा किए जा रहे उच्च मूल्य के वित्तीय लेन–देन में पारदर्शिता एवं जी०एस०टी० अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता है।

राज्य के लगभग प्रत्येक प्रमुख नगर एवं जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे कार डीलर एवं प्रतिष्ठान संचालित हैं जो व्यक्तियों से पुराने/प्रयुक्त वाहन खरीदकर उनका पुनर्विक्रय करते हैं अथवा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए मार्जिन/कमीशन के आधार पर व्यावसायिक लाभ अर्जित करते हैं। इन वाहनों का मूल्य सामान्यतः लाखों रुपये में होता है तथा एक ही प्रतिष्ठान द्वारा एक माह में अनेक वाहनों का क्रय–विक्रय किया जा सकता है। ऐसे में इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यावसायिक लेन–देन का विधिसम्मत एवं सत्यापन योग्य अभिलेख होना सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उक्त की प्रामाणिकता के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड में पुराने एवं प्रयुक्त वाहनों के क्रय–विक्रय के व्यवसाय की कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से विभिन्न कार व्यापारियों के भौतिक रूप से भ्रमण एवं वस्तुस्थिति का अवलोकन किया गया। इस दौरान सामने आई स्थिति से यह गंभीर चिंता उत्पन्न हुई कि पुराने एवं प्रयुक्त वाहनों का व्यवसाय करने वाले अनेक कार डीलरों द्वारा लाखों रुपये मूल्य के वाहनों की बिक्री तथा फर्म/व्यावसायिक बैंक खातों में बड़ी धनराशि प्राप्त किए जाने के बावजूद क्रेताओं को संबंधित लेन–देन का विधिसम्मत जी०एस०टी० बिल/कर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

संस्थान का मानना है कि पुराने एवं प्रयुक्त वाहनों के व्यावसायिक क्रय–विक्रय में लागू जी०एस०टी० विधि एवं नियमों के अनुसार अपेक्षित बिल/कर दस्तावेज जारी किया जाना प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, जिससे वाहन का वास्तविक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा जहां लागू हो वहां डीलर द्वारा अर्जित मार्जिन/कमीशन एवं संबंधित कर दायित्व विधिसम्मत अभिलेखों में प्रमाणित एवं सत्यापन योग्य बना रहे। बिल आधारित व्यवस्था से संबंधित लेन–देन की वित्तीय श्रृंखला स्पष्ट रहेगी तथा विभाग के लिए घोषित कारोबार एवं वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि का परीक्षण करना भी अधिक प्रभावी होगा।

यदि कोई पुराना वाहन विक्रेता वाहन की बिक्री के बदले लाखों रुपये अपने फर्म/व्यावसायिक बैंक खाते में प्राप्त करता है, लेकिन लागू विधि के अनुसार अपेक्षित जी०एस०टी० बिल अथवा संबंधित कर दस्तावेज जारी नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक बिक्री मूल्य, वाहन की खरीद लागत, डीलर द्वारा अर्जित मार्जिन/कमीशन तथा वास्तविक कर योग्य राशि के सत्यापन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था वास्तविक कारोबार को कम प्रदर्शित करने अथवा अन्य प्रकार के संभावित कर अपवंचन के जोखिम को बढ़ा सकती है।

अतः राज्य में ऐसी व्यवस्था अपेक्षित है जिसमें पुराने एवं प्रयुक्त वाहनों का व्यवसाय करने वाला कोई भी कार डीलर लागू कर प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज जारी किए बिना व्यावसायिक बिक्री को अभिलेखों से बाहर न रख सके। प्रत्येक बिक्री का

विधिसम्मत दस्तावेजीकरण होने से क्रेता के पास भी वाहन के वास्तविक लेन–देन का प्रमाण उपलब्ध रहेगा तथा विभाग के पास आवश्यकता पड़ने पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मार्जिन/कमीशन, बैंकिंग लेन–देन एवं घोषित कारोबार का परस्पर सत्यापन करने का आधार रहेगा।

इस संबंध में राज्य कर विभाग एवं परिवहन विभाग के मध्य समुचित समन्वय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराने वाहन का प्रत्येक स्वामित्व हस्तांतरण परिवहन विभाग के अभिलेख में दर्ज होता है। अतः विधिसम्मत प्रक्रिया एवं उपलब्ध वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत व्यावसायिक कार डीलरों द्वारा किए गए वाहन क्रय–विक्रय/स्वामित्व हस्तांतरण के आंकड़ों का उनके घोषित कारोबार एवं जी०एस०टी० अभिलेखों से जोखिम–आधारित मिलान किया जाए तो अघोषित अथवा संदिग्ध व्यावसायिक लेन–देन की पहचान अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

यह विषय केवल कर प्रशासन तक सीमित नहीं है। कर राजस्व से राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आधारभूत संरचना एवं अन्य जनकल्याणकारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। अतः पुराने एवं प्रयुक्त वाहन व्यवसाय जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्र में यदि वास्तविक कारोबार कर प्रणाली से बाहर रहता है तो उससे होने वाली राजस्व हानि प्रत्यक्ष रूप से व्यापक जनहित को प्रभावित करती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत संस्थान जनहित में आपसे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ किये जाने का अनुरोध करता है :–

1. उत्तराखण्ड राज्य में पुराने एवं प्रयुक्त वाहनों के क्रय–विक्रय का व्यवसाय करने वाले समस्त कार डीलरों/प्रतिष्ठानों को स्पष्ट राज्यव्यापी निर्देश जारी किए जाएं कि वे प्रत्येक व्यावसायिक वाहन क्रय–विक्रय के संबंध में लागू जी०एस०टी० अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अपेक्षित जी०एस०टी० बिल/कर दस्तावेज अनिवार्य रूप से जारी एवं संरक्षित करें तथा बिना विधिसम्मत लेखांकन के किसी वाहन बिक्री को व्यवसायिक अभिलेखों से बाहर न रखें।
2. सम्पूर्ण राज्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे पुराने वाहन के लेन–देन में वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य तथा डीलर द्वारा अर्जित मार्जिन/कमीशन, जहां विधि के अनुसार प्रासंगिक एवं अपेक्षित हो, संबंधित अभिलेखों से सत्यापन योग्य रहे, ताकि वास्तविक कर दायित्व का निर्धारण किया जा सके और किसी प्रकार के जी०एस०टी० अपवंचन की गुंजाइश न्यूनतम हो।

3. पुराने एवं प्रयुक्त वाहन खरीदने वाले नागरिकों को जागरूक करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए कि व्यावसायिक कार डीलर से वाहन खरीदते समय लागू विधि के अनुसार अपेक्षित जी०एस०टी० बिल/कर दस्तावेज अवश्य प्राप्त करें, तथा बिल न दिए जाने की स्थिति में विभाग को तत्काल सूचना देने के लिए सरल एवं सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

4. राज्य में पुराने एवं प्रयुक्त वाहन व्यवसाय का समय–समय पर जोखिम–आधारित निरीक्षण एवं सत्यापन कराया जाए तथा जहां वास्तविक बिक्री छिपाने, कारोबार कम प्रदर्शित करने, अपेक्षित कर दस्तावेज जारी न करने अथवा देय कर का अपवंचन प्रमाणित हो, वहां संबंधित प्रतिष्ठान एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कर वसूली, ब्याज, अर्थदण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर राजस्व हानि की वसूली की जाए।

संस्थान यह स्पष्ट करता है कि यह पत्र किसी विशेष कार डीलर, प्रतिष्ठान, व्यक्ति अथवा किसी व्यक्तिगत वाहन क्रय–विक्रय से संबंधित नहीं है, बल्कि उत्तराखण्ड में पुराने एवं प्रयुक्त वाहनों के संपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र में पारदर्शिता एवं कर अनुपालन सुनिश्चित करने के व्यापक जनहित में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि राज्य में प्रत्येक पुराने एवं प्रयुक्त वाहन के व्यावसायिक विक्रय का लागू कानून के अनुरूप विधिसम्मत बिल/कर दस्तावेज सुनिश्चित किया जाता है और उसके माध्यम से वास्तविक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं डीलर के मार्जिन/कमीशन को सत्यापन योग्य बनाया जाता है, तो इससे संभावित जी०एस०टी० अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने, सरकारी राजस्व की रक्षा करने तथा ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले कार डीलरों के लिए समान एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

अतः व्यापक जनहित एवं सरकारी राजस्व की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय में राज्यव्यापी स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी कर उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा है।

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)